6/3/24. पत्रावली पेश हुई/ वकील प्रार्थी, अप्रार्थी उपस्थित/ वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में पैरवी नहीं करने की इच्छा जाहिर की। प्रार्थी श्री पुष्पेन्द्रसिंह को आवाज लगाई गई। प्रार्थी उपस्थित नहीं आया। वकील अप्रार्थी के प्रा०आपत्ति के प्रा०पत्र पर सुना गया/ अप्रार्थी को राजस्थान शौर्य पदक (नकद पुरस्कार एवं भूमि आवंटन) नियम, 1966 के तहत शौर्य पदक के नाते उप० तहसीलदार, मोहनगढ़-1 के चक 45 PD के मु.नं. 18/35 में 23-00 बीघा कमांड भूमि आवंटन की गई। प्रार्थी द्वारा

...ा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व दि... के पालनार्थ...
	धारा 22(3) के तहत उक्त प्रा०पत्र राजस्थान उपनिवेशन (इ.गां.नं.प क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत की गई भूमि आवंटन के नियम विरुद्ध आवंटन पर लागू होता है। अप्रार्थी को शौर्य पदक (नकद ~~[illegible]~~ पुरस्कार एवं भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत भूमि आवंटन हुई। अतः उक्त 22(3) का प्रा०पत्र इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अतः उक्त 22(3) का प्रा०पत्र निरस्त किया जाता है। (डॉ. प्रदीप [illegible]) आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर	